न्यायालय सहायक कलक्टर (एस0डी0ओ0) जायल जिला नागौर
बईजलास श्री सुरेश कुमार प्रथम आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या– 161/2017

1. बस्तीराम पुत्र बुधाराम, जाति जाट,
   निवासी डिडिया कल्लां, तहसील जायल, जिला नागौर

.....वादी

बनाम

1. चुका देवी पुत्री बुधाराम, जाति जाट,
   निवासी डिडिया कल्लां, तहसील जायल, जिला नागौर
2. गीता पुत्री बुधाराम पत्नि बक्साराम निवासी बांसडा फौत के कायम मुकामान
   2/1. भौजाराम पुत्र बक्साराम
   2/2. जयपाल पुत्र बक्साराम
   2/3. सरजू पुत्री बक्साराम
   2/4. रामजीत पुत्र रामनिवास
   2/5. सोनकी पत्नि रामनिवास, निवासीगण बांसडा तहसील नागौर
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल

..... प्रतिवादीगण

वाद वास्ते घोषणा खातेदारी व विभाजन,
अधीन धारा 88 व 53 राज. टिनेन्सी एक्ट

उपस्थित अधिवक्ता– 1. वादी की ओर से जीयाराम गोदारा, एडवोकेट
2. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री शिवकुमार पाराशर एडवोकेट
3.प्रतिवादी संख्या 3 के ईकतरफा कार्यवाही है।

:: निर्णय ::

दिनांक –28.08.2019

वादी के वाद का संक्षेप में सार इस प्रकार हैं कि वादी ने अपनी वंशावली पेश करते हुऐ कथन किया कि वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की पुश्तैनी भूमियां मौजा डिडिया कल्लां तहसील जायल में खसरा

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल जिला नागौर

Scanned by CamScanner

नं. 113 रकबा 5.19 बीघा, खसरा नं. 434 रकबा 3.18 बीघा, खसरा नं. 435 रकबा 7.00 बीघा, खसरा नं. 437 रकबा 4.04 बीघा, खसरा नं. 438 रकबा 3.16 बीघा तथा खसरा नं. 441 रकबा 1.08 बीघा कुल रकबा 26.05 बीघा आई हुई है। जिसमें वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का बराबर बराबर हिस्सा है। राजकीय रेकर्ड में भूमियां श्री बुधाराम के नाम दर्ज है जिनका स्वर्गवास हो गया है। लेकिन फौतगी नामान्तरकरण नही भरा गया है। इसलिए यह दावा वास्ते घोषणा खातेदारी के लिए पेश है। इनके अलावा बुधाराम के और कोई संतान नही है। अब वर्ष 2065 में आखातीज को पक्षकारान ने घरेलू तौर पर अपनी भूमियों का विभाजन कर लिया है जिसके अनुसार वादी के बंट मे वादग्रस्त भूमि मौजा डिडिया कल्लां में खसरा नं. 113 रकबा 5.19 बीघा, खसरा नं. 434 रकबा 3.18 बीघा, खसरा नं. 435 रकबा 7.00 बीघा, खसरा नं. 437 रकबा 4.04 बीघा, खसरा नं. 438 रकबा 3.16 बीघा तथा खसरा नं. 441 रकबा 1.08 बीघा रखे है। प्रतिवादीगण के कोई भूमि नही रखी है क्योकि वे शादीसुदा है तो अपने ससुराल में रहती है तथा वंहा उनका बंट है। लेकिन इसके बाद भी इस विभाजन का अमल दरामद राजकीय रेकर्ड मे नही हुआ है इसलिए यह दावा वास्ते विभाजन के लिए पेश किया जा रहा है तथा राज्य सरकार ऐसे दावों में आवश्यक पक्षकार होने से तहसीलदार जायल को भी पक्षकार बनाया है।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 व 2/1, 2/3, 2/4, व 2/5 की ओर से श्री शिवकुमार पाराशर अधिवक्ता ने वकालत नामा मय ईकबाली जवाब दावा पेश कर वाद से सहमति जताई तथा प्रतिवादी संख्या 2/2 तथा 3 के बावजूद तामील गैर हाजिर रहने तथा से उनके विरूद्ध ईकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। साक्ष्य वादी में शपथ पत्र वादी बस्तीराम, प्रतिवादी संख्या 1 चुकादेवी तथा गवाह रामनिवास के शपथ पत्र पेश किये। तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नकल खतौनी संवत 2068 से 2071 प्रदर्श 1 पेश की गई। तथा साथ ही ग्राम पंचायत डिडिया कल्लां तथा ग्राम पंचायत अमरपुरा का प्रमाण पत्र तथा श्री बुधाराम तथा उनकी पत्नि धेवरी का मृत्यु प्रमाण पत्र भी पेश किये। तथा वकील वादी ने साक्ष्य बंद की।

बहस वकील वादी की ईकतरफा सुनी गई। जिन्होंने वाद पत्र में किये गये कथनों को दोहराया तथा वाद को डिक्री करने का निवेदन किया। मेरे द्वारा वादी के अभिकथनों तथा साक्ष्य में प्रस्तुत शपथ पत्र तथा दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। हमने वादी के वाद तथा प्रस्तुत साक्ष्य और दस्तावेजो से वादी के वाद की पूर्णतया ताईद होती है। तथा किसी भी पक्षकार द्वारा वाद का विरोध नही किया गया है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

1. कि यह घोषणा की जाती है कि वादग्रस्त भूमि मौजा डिडिया कल्लां में खसरा नं. 113 रकबा 5.19 बीघा, खसरा नं. 434 रकबा 3.18 बीघा, खसरा नं. 435 रकबा 7.00 बीघा, खसरा नं. 437 रकबा 4.04 बीघा, खसरा नं. 438 रकबा 3.16 बीघा तथा खसरा नं. 441 रकबा 1.08 बीघा वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की है।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned by CamScanner

2. कि इसका विभाजन पक्षकारों के बीच करते हुऐ उपरोक्त भूमि गौजा ढिंढिया कल्लां की खसरा नं. 113 रकबा 5.19 बीघा, खसरा नं. 434 रकबा 3.18 बीघा, खसरा नं. 435 रकबा 7.00 बीघा, खसरा नं. 437 रकबा 4.04 बीघा, खसरा नं. 438 रकबा 3.16 बीघा तथा खसरा नं. 441 रकबा 1.08 बीघा को अकेले वादी वस्तीराम के बंट कब्जा कास्त व खातेदारी की घोषित किया जाता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादीगण का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। इसी माफिक डिक्री पर्चा भरा जाकर तहसीलदार जायल को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

(सुरेश कुमार)
पीठासीन अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जायल।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार)
पीठासीन अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जायल।

Scanned by CamScanner